

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil Second Appeal No. 309/2005

29.10.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुदेश बंसल।
प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री स्कन्ध शर्मा/
श्री आर बी माथुर।

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्यर्थी/विधिक प्रतिनिधिगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 के क्रम में **एक सप्ताह** में पी एफ नोटिस पेश करें जो पेश किए जाने पर **चार सप्ताह** में वापसी योग्य जारी किए जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति